तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सत्यनारायण बनाम प्रेमाराम वगै अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर – 369 / 2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की ताभील में जारी हुए
19/01/2024	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पेरोकार उपस्थित । वकील अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब बन्द किया जा चुका हैं। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के पैतृक जोत लालूराम के नाम खसरा नम्बर 419 / 190,422 / 240 व 425 / 10 के आवंटित ग्राम ोभेलाई मे राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज चली आ रही है। लेकिन प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 419 / 190 मे 3.700 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता कटानी नहीं है। अप्रार्थीगण एक की खसरा नम्बर 189 मे 4.7300 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। खसरा नम्बर 189 ग्राम आबादी के लगता ही खसरा नम्बर 193 गैर मुमकिन आबादी मे दर्ज है जो कि खसरा नम्बर 189 के लगता है उक्त खसरा नम्बर से प्रार्थी व अन्य काश्तकारों अनुमति लेकर कदमी रास्ता पर आता जाता रहता है दिनांक 20.7.2022 को अप्रार्थीगण ने अपने खेत खसरा नम्बर 189 मे से जाने मे से मना कर दिया तथा रास्ते को गेट लगाकर बंद कर दिया है जिससे प्रार्थीगण मजबूर होकर प्रार्थना पत्र किया गया है। खसरा नम्बर 189 के पूर्व दिशा में खेत खसरा नम्बर 419 / 190 लगता है व खसरा नम्बर 189 के पश्चिमी के लगती गैर मुमकिन आबादी है खसरा नम्बर 193 के गैरमुमकिन आबादी में कुए से लेकर 189 तक आम रास्ता लगता है जो चालु है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 419 / 190 में कटानी रास्ता न होने के कारण उनकी इछा पर निर्भर रह रहा है। अब रास्ता रोकर अवरोध पैदा कर दिया गया है। खसरा नम्बर 189 के पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने के लिए प्रत्येक बीघ मे से दो–दो स्वा रास्ता की आवश्यकता है। चाहा गया रास्ता नक्शा संलग्न है। अतः खेत मे जाने हेतु कटानी रास्ता नहीं होने के कारण कोई और रास्ता खेत मे पहुंचने का नहीं है खेत के अन्दर न जाने के कारण प्रार्थी को नुकसान हो रहा है। अतः रोही शोभोलाई खसरा नम्बर 189 अप्रार्थी की खेत के पश्चिमी से पूर्व की मध्य दो–दो बिस्वा का रास्ता कटानी स्वीकार फरमाने हेतु निवेदन किया गया। राजपेरोकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौका स्थिति का अवलोकन किया गया खसरा नम्बर 419 / 190 मे आने जाने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है और उक्त खसरा नम्बर के नजदीक भी कोई कटानी रास्ता मौके पर आवागमन हेतु नही है की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हमने बहस का मनन किया । पत्रावली शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी गांव शोभोलाई संवत् 2078 एवं नकल नक्शा एवं तहसीलदार लूनकरनसर रिपोर्ट का अवलोकन किया । उपरोक्त बहस एवं रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत मोजा रोही शोभोलाई खसरा नम्बर 419 / 190 मे पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है। परन्तु रास्ता हेतु खसरा नम्बर 189 के दो भागो मे बांटा जाना सही प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी को खेत मे पहुंच हेतु खसरा नम्बर 189 की सींव के सहारे नियमानुसार चौड़ाई मे रास्ता जिस ओर नजदीक हो स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि पर प्रार्थी के खसरा नम्बर 419 / 190 तक पहुंच हेतु खसरा नम्बर 189 के सींव के सहारे नियमानुसार नजदीकी रास्ता गणना कर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता नियमानुसार वर्तमान डीएलसी दर से संबन्धित को भुगतान होने पर रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो । यह आदेश आज दिनांक 19/01/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (संजीव कुमार) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	